

Ref: ISD/16-17/178

June 1, 2016

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code 532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
---	--

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice of 14th Annual General Meeting of the Bank, Book Closure and E-Voting

This is to inform you that the **14th Annual General Meeting (AGM)** of the Bank will be held on **Monday, 27th June, 2016** at 11.00 a.m. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M. Kundhani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020.

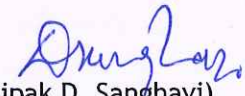
Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 21st June 2016 to Monday, 27th June 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders' entitlement to dividend for the Financial Year 2015-16. The dividend, if approved, shall be paid latest by **5th July, 2016**.

Further, in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-voting period commences on **24th June, 2016 (9:00 am)** and ends on **26th June, 2016 (5:00 pm)**.

A copy of Notice of the Annual General Meeting is enclosed for your record.

Thanking you.

Yours faithfully,


(Dipak D. Sanghavi)
Deputy General Manager

Encl.: As above.



14^{वीं} वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

Notice of 14th Annual General Meeting

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 14वीं वार्षिक साधारण बैठक **सोमवार, दिनांक 27 जून, 2016** को **प्रातः 11.00 बजे रामा एण्ड सुंदरी वाटूमल आडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, विद्यासागर, प्रिंसिपल के. एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशॉ वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी

मद क्र. 1

दिनांक **31 मार्च, 2016** के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने हेतु.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष **2015-16** के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करने हेतु.

मद क्र. 3

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

संकल्प किया कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("**अधिनियम**") के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("**योजना**") तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 यथा समय- समय पर संशोधित (विनियम), भारतीय रिजर्व बैंक ("**आरबीआई**"), भारत सरकार ("**जीओआई**"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("**सेबी**") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूँजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियम 2009 (**आईसीडीआर विनियम**) यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय- समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("**लिस्टिंग विनियम**") संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "**दि बोर्ड**" कहा जायगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाय एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/ प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) तक के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो ₹ 687.44 करोड़ (रुपये छह सौ सत्तासी करोड़ एवं चवालीस लाख मात्र) की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित ₹ 3000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र), जो बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का

अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार से कि किसी भी स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("**एनआरआई**"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (**क्यूआईबी**), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("**एफआईआई**"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक की इक्विटी/ प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन (निश्चित आवंटन और / या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधिआवंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आवंटन, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, आईसीडीआर विनियम, लिस्टिंग विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं.

"पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजारों के साथ किये गये लिस्टिंग करार, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी

निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और / या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखा/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय- समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में उल्लेख है, के अनुसार आईसीडीआर विनियमों के या उस समय प्रचलित कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य, ऐसे तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी के 51% से कम न हो."

“पुनः संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थानन के मामले में

- ए) प्रतिभूतियों का आवंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा, ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.
- बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियम 85(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.
- सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी."

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आवंटन एवं सूचीयन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय उनके द्वारा वांछित संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार बोर्ड के पास निहित होगा."

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/ एफआईआई और/ या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई हैं, का निर्गम और आवंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन परंतु अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधधीन होगा."

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित नये इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अधधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई हो, के लिये पात्र होंगे."

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम या आवंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य,

निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आवंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हैं, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर्स, अभिगोपक, डिपाजिटरी, रजिस्ट्रार, लेखापरीक्षक तथा अन्य ऐसी एजेंसी, जो इक्विटी एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है."

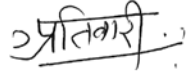
“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्प्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/ या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

“पुनः संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/ प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/ प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

“**पुनः संकल्प किया** कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक (कों) या निदेशकों की समिति को प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाए या एवं एतद्वारा किया जाता है.”

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 12 मई, 2016

नोटः

1. व्याख्यात्मक वृत्तांत

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 03 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक वृत्तान्त इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 1998 के विनियम 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म 'बी' के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में **उप महाप्रबंधक को संबोधित, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021** के पते पर बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 22 जून, 2016** को बैंक के कार्य-समाप्ति पर सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के

अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के प्रधान कार्यालय में, उक्त पते पर, बैठक की तिथि से **कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् बुधवार, 22 जून, 2016** को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग- इन आई डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली वोटिंग प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान यदि कोई है तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'परोक्षी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए.

5. अंतरण दायर करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अंतरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाना चाहिए.

6. बुक क्लोजर

यदि वार्षिक साधारण बैठक में घोषित होता है, तो वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं वित्त वर्ष 2015-16 हेतु शेयरधारकों के लाभांश की पात्रता निश्चित करने के लिए शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **मंगलवार, दिनांक 21 जून, 2016 से सोमवार दिनांक 27 जून, 2016 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा.**

7. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में दिनांक **27 जून, 2016** को दर्ज हैं तथा डिमैट के रूप में रखे गए शेयरों के मामलों में, दिनांक **20 जून, 2016** को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर हितकारी स्वामित्व (बेनपोस) के आधार पर प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश का भुगतान **5 जुलाई, 2016** को किया जाएगा. बैंक द्वारा लाभांश की राशि शेयरधारकों के खातों में यूनियन बैंक खातों में सीधे जमा/ एनएसईएस/ एनईएफटी/ आरटीजीएस, जो भी संभव हो के माध्यम से सीधे जमा की जाएगी.

8. अदावाकृत /अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी कराने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट से अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से

संपर्क करें. डुप्लीकेट लाभांश पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर उपलब्ध है.

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्थान कानून (संशोधित) अधिनियम 2006 द्वारा बैंकिंग कम्पनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 में संशोधन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा है कि उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व वर्षों और उक्त अधिनियम के लागू होने के पश्चात घोषित अदावाकृत/ अदत्त लाभांश की शेष राशि को 'अदत्त लाभांश खाते' में अंतरित करें.

उक्त 'अशोधित लाभांश खाते' में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (सी) के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है और उसके पश्चात इस संबंध में बैंक अथवा निधि से भुगतान हेतु कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2007-08 तक अदत्त लाभांश राशि को आईईपीएफ को अंतरित कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2008-09 से अशोधित लाभांश राशि को शेयरधारकों द्वारा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर देखा जा सकता है.

9. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन

ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपाजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपाजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट इलेक्ट्रानिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैन्डेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है. ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए.

बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,

एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल

अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400 093

सी) बैंक का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

डी) इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपाजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को.

ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रानिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें.

10. स्थिति में परिवर्तन की रिकार्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट- डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले नहीं दिया गया हो.

11. फोलियो का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट, डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को प्रेषित करें.

12. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/ कुरियर सेवा द्वारा भेज दी गई हैं तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां भेजी गई हैं. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी(उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10%** से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन तथा विनियम के नियम 68 के अनुसार कोई शेयरधारक, जो **कट-ऑफ तारीख अर्थात सोमवार 20 जून, 2016** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तो वह हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और

मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी

विनियम के नियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा।

14. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे।

15. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारक, अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डि-मैट खाता संचालित कर रहे हैं।

16. ई-वोटिंग

- I. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 तथा लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक सामान्य बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर एलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कार्यवाही की सुविधा प्रदान की गई है। वार्षिक सामान्य बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान ("रिमोट ई-वोटिंग") से एलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा **नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL)** द्वारा प्रदान की जा रही है।
- II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक सामान्य बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरहोल्डर अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- III. जिन शेयरहोल्डरों ने वार्षिक सामान्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे।
- IV. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि दिनांक **24 जून 2016 (प्रातः 9.00 बजे)** से प्रारम्भ होकर **26 जून 2016 (सायं 5.00 बजे)** तक रहेगी। बैंक के शेयरधारक इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख **20 जून, 2016** को फिजिकल या डि-मैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं। इस अवधि के बाद नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बन्द कर दिया जाएगा। शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट

करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

V. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है

- ए. नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) से शेयरहोल्डर को ई-मेल मिलने की दशा में (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में पंजीकृत है):
 - (i) ई-मेल खोलें और अपने ग्राहक आई.डी.या फोलिओ नम्बर के द्वारा पी.डी.एफ. फाइल अर्थात "remote e-voting.pdf" खोलें। इस पी.डी.एफ.फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आई.डी. तथा पासवर्ड/पिन रहेगा। कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड केवल आरम्भिक पासवर्ड है।
 - (ii) निम्न यू.आर.एल.टाइप कर इंटरनेट ब्राउजर आरम्भ करें <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) शेयरहोल्डर पर क्लिक करें - लॉगइन
 - (iv) उपर्युक्त मद क्र.(i) के अनुसार आरम्भिक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करें। लॉगइन क्लिक करें।
 - (v) पासवर्ड बदलने के लिए मेनू दिखेगा। अपनी पसन्द का नया पासवर्ड/ पिन परिवर्तित करें जो 8 अंकों/ कैरेक्टर्स या दोनों मिलाकर हो सकता है। नया पासवर्ड नोट करें। यह सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।
 - (vi) रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलता है। रिमोट ई-वोटिंग: पर क्लिक करें। एक्टिव वोटिंग साइकल (Active Voting Cycles)।
 - (vii) "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के "EVEN" को चुनें।
 - (viii) अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब वोट करने के लिए पेज खुल गया है।
 - (ix) यथोचित विकल्प का चयन कर वोट डाल दें और "Submit" तथा उसके बाद "Confirm" पर क्लिक करें।
 - (x) पुष्टि (Confirmation) के बाद यह संदेश दिखेगा "Vote cast successfully"।
 - (xi) संकल्प पर एक बार आपके द्वारा वोट करने के बाद आपके वोट में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
 - (xii) संस्थागत शेयरधारकों (व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, गैर निवासी भारतीयों आदि के अलावा) द्वारा वोट करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षरों के सत्यापन के साथ, संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रतियां (पीडीएफ/ जेपीजी फॉर्मेट) जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा snv@snaco.net तथा evoting@nsdl.co.in पर भेजना होगा।

बी. यदि शेयरधारकों को वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना फिजिकल कापी द्वारा मिलती है (उन शेयरधारकों के लिए जिनका ई-मेल बैंक/ डिजिटल पार्सिपेंट में पंजीकृत नहीं है या फिजिकल कापी की मांग की है):

(i) आरम्भिक पासवर्ड वार्षिक सामान्य बैठक की उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में दिया गया है.

(ii) वोट करने के लिए, उपर्युक्त मद क्रमांक (ii) से (xii) का पालन करें.

VI. किसी प्रकार की शंका होने की दशा में www.evoting.nsdl.com में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रिमोट ई-वोटिंग मैनुअल में देखा जा सकता है या टोलफ्री नं.: 1800-222-990 पर संपर्क किया जा सकता है.

VII. रिमोट वोटिंग के लिए यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो आप वोट करने के लिए अपना विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड/ पिन का प्रयोग कर सकते हैं.

VIII. यूजर प्रोफाइल विवरण के फोलियो में आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य के संवादों के लिए किया जा सकता है.

IX. यदि कोई व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद, बैंक के शेयर प्राप्त करता है और **कट-ऑफ तारीख सोमवार अर्थात 20 जून 2016** को शेयरधारक रहता है, निम्नांकित ई-मेल आई पर अनुरोध प्रेषित कर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.

evoting@nsdl.co.in या

investorservices@unionbankofindia.com या

ubiinvestors@dfssl.com

तथापि, यदि आप नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट करने के लिए आप अपने विद्यमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password" विकल्प से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) के टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं.

X. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ की तारीख को, शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिजिटल पार्सिपेंट द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक सामान्य बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग के लिए पात्र होगा.

XI. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.

XII. अध्यक्ष द्वारा जांचकर्ता की सहायता से वार्षिक सामान्य बैठक में संकल्पों पर चर्चा के अंत में उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान करेंगे, जो इस बैठक में उपस्थित हों, लेकिन उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.

XIII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में वोटिंग समाप्त होने के बाद तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम तीन दिनों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर बैंक के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी.

XIV. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से परिणामों की घोषणा होने के तुरन्त बाद, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) पर रखा जाएगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल सेक्यूरिटीज लिमिटेड (NSDL) को भेजे जाएंगे.

17. वोटिंग व चुनावों के परिणाम

ई-वोटिंग व चुनावों के समेकित परिणाम बैठक के अंत में घोषित किये जाएंगे और इसे बैंक की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज और एनएसडीएल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

18. मतदान के पर्यवेक्षक

जैसाकि ई-वोटिंग के लिए पहले ही संकेत किया जा चुका है कि कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स एस.एन.अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (एसएनएसीओ), सभी एजेंडा आइटम के लिए पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे.

व्याख्यात्मक विवरण

एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम :

बॉसल-III अधिनियम की अपेक्षानुसार बैंक के लिए 31 मार्च, 2017 तक कॉमन इक्विटी टियर-1(सीईटी1) रूप में न्यूनतम 5.5%, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 1.25%, इक्विटी शेयर पूंजी टियर 1 के रूप में 8.25% और समस्त सीआरएआर के रूप में 10.25% की प्राप्ति करनी है. बॉसल-III की अपेक्षाओं के अनुपालन में, बैंक के भविष्य की विस्तार योजनाओं और तदनुसार पूंजी की आवश्यकता के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करने हेतु पूंजी को बढ़ाने की आवश्यकता है.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दो सौ करोड़ मात्र) की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किये जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी शेयर पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू), और/या राइट इश्यू और/या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जायेगा.

बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) सहित पब्लिक इश्यू (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या भारत सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से

इक्विटी पूंजी को ₹ 3700 करोड़ (रुपये तीन हजार सात सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त की थी, जो कि 25 जून, 2016 तक वैध है। सितंबर, 2015 में बैंक को भारत सरकार से ₹ 1080 करोड़ (रुपये एक हजार अस्सी करोड़ मात्र) की पूंजी प्राप्त हुई। तथापि, प्रतिकूल बाजारी स्थितियों के कारण अन्य तरीकों से पूंजी जुटाने पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया गया। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को ₹ 3200 करोड़ (रुपये तीन हजार दस सौ करोड़ मात्र) तक बढ़ाने की योजना है।

इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख वहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे। इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाय, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।

उपरोक्त के अनुसार अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि:-

- सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII और/ या अन्य लागू विनियमों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि को अधिनियम की धारा 81(1-ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल/ या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।
- चूँकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है। तथापि यह आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बेटकें) विनियम, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा।

- पूर्णतः चुकता शेयरों का निर्गम एवं आवंटन केवल अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अनुसार किया जायेगा तथा आवंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जायेगा।
- प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकारों, लीड मैनेजरों, अभिगोपकों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाय, से विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा।
- अधि आवंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के 5 गुने से अधिक नहीं होगी।
- मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के तहत समय-समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आवंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी।
- आवंटित किये गये इक्विटी शेयर लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैठक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रतिकारी

(अरुण तिवारी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुम्बई
दिनांक: 12 मई, 2016

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Fourteenth** Annual General Meeting of the Shareholders of Union Bank of India will be held on **Monday, 27th June, 2016 at 11:00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Vidyasagar, Principal K. M. Kundnani Chowk, 124, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2016**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year **2015-16**.

Item No. 3

To raise Capital through FPO/Rights/QIP etc.

To consider and if thought fit, to pass the following as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (**“Act”**), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (**“Scheme”**) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (**“RBI”**), the Government of India (**“GOI”**), the Securities and Exchange Board of India (**“SEBI”**), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (**“ICDR Regulations”**) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**“Listing Regulations”**) consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **“the Board”** which shall be deemed to include any Committee which the Board may

have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two Hundred Crore Only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹ 687.44 crore (Rupees Six Hundred Eighty Seven Crore and Forty Four Lacs Only)** will be within **₹ 3000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than **51%** of the paid-up Equity Share Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (**“NRIs”**), Companies-Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers (**“QIBs”**) like Foreign Institutional Investors (**“FIIs”**), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, thinks fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the

authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the Lead Managers and /or Underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such Securities shall be fully

paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects paripassu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of equity shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Manager(s), Underwriter(s), Advisor(s) and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the equity shares/ securities are to be allotted, number of equity shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/ redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more Stock Exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deems fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deems fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman, Managing Director & CEO or to the Executive Director (s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date : 12th May 2016

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the Business Agenda No. 3 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the Bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the Bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B” as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to **Dy. General Manager, Investor Services Division, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021**, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Wednesday, 22nd June 2016** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder

of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than **FOUR DAYS** before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Wednesday, 22nd June 2016**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote e-voting facility can cast their vote by using voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

5. LODGMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent for effecting the transfer.

6. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Tuesday, 21st June 2016 to Monday, 27th June 2016 (both days inclusive)** for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders' entitlement to dividend for the year 2015-16, if declared at the Annual General Meeting.

7. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on **27th June 2016** and in respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of Beneficial Ownership (BenPos) as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on **20th June, 2016** and the dividend shall be paid latest by **5th July, 2016**. The

Bank will credit the dividend amount to the Bank accounts of the shareholders through Direct Credit to Union Bank Account / NACH / NEFT / RTGS, wherever possible.

8. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar and Share Transfer Agent or Bank's Investor Services Division for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite form for issue of duplicate dividend warrant is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205(C) of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2007-08 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2008-09, the Shareholders may visit Bank's website "www.unionbankofindia.co.in".

9. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

a) The Bank for payment of dividend will use the details of Bank Account registered with the NSDL/ CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book Closure. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.

- b) Members holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,

Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093

- c) The Dividend Mandate Form for providing Bank details is annexed to this report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.
- d) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- e) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID - Client ID number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank – Datamatics Financial Services Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

12. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2015-16 in physical form are dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank. The Annual Report is also hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Regulations, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Monday, 20th June, 2016**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.

16. E-VOTING

- I. In compliance with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting (AGM) by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services. The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL)**.
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The remote e-voting period commences on **24th June, 2016 (9:00 am) and ends on 26th June, 2016 (5:00 pm)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **20th June, 2016** may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- V. The process and manner for remote e-voting are as under:
 - A. In case a shareholder receives an Email from NSDL [for shareholders whose Email IDs are registered with the Bank/Depository Participant(s)] :
 - (i) Open Email and open PDF file viz. "remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password.
 - (ii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - (iii) Click on Shareholder - Login
 - (iv) Put user ID and password as initial password/PIN noted in step (i) above. Click Login.
 - (v) Password change menu appears. Change the password/PIN with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
 - (vi) Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
 - (vii) Select "EVEN" of "**Union Bank of India**".
 - (viii) Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
 - (ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
 - (x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
 - (xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
 - (xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to snv@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
 - B. In case a shareholder receives physical copy of the Notice of AGM (for shareholders whose Email IDs are not registered with the Bank/Depository Participant(s) or requesting physical copy) :
 - (i) Initial password is provided in of the Attendance Slip - cum - Entry Pass for the AGM :
 - (ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) above, to cast vote.

- VI. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for shareholders available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
- VII. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s) related to e-voting process.
- IX. Any person, who acquires shares of the Bank and become shareholder of the Bank after dispatch of the notice and holding shares as of the **cut-off date i.e. Monday, 20th June, 2016**, may obtain the login ID and password by sending a request at -
evoting@nsdl.co.in or
investorservices@unionbankofindia.com or
ubiinvestors@dfssl.com.
- However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
- X. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
- XI. M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- XII. The Chairman shall, at the AGM at the end of discussion on all the resolutions allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XIII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the general meeting but, not later than three days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Bank.
- XIV. The Results declared alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the

website of NSDL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue will be announced at the end of the Meeting and also hosted on the websites of the Bank, Stock Exchanges and NSDL.

18. SCRUTINIZERS AT POLL

As already indicated for E-Voting, M/s. S N Ananthasubramanian & Co. (SNACO), Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the Agenda Items of the meeting.

EXPLANATORY STATEMENT

ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the Banks should maintain a minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio of 5.5% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 1.25% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 8.25% and overall CRAR (including CCB) of 10.25% by March 31, 2017. To comply with the Basel III requirement, future expansion plans of the Bank and consequent capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio.

Based on the growth estimates your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two Hundred Crore Only)** including capital infusion by the Government of India and the Bank may use Equity Share Capital raising options such as through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or any other mode(s) subject to approval by Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had the shareholders' approval for raising Equity Share Capital up to **₹ 3700 crore (Rupees Three Thousand and Seven Hundred Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or any other mode(s) subject to approval by Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations, which is valid up to **25th June, 2016**. In September, 2015 the Bank received capital infusion of **₹ 1080 crore (Rupees One Thousand Eighty Crore Only)** from the Government of India. However, on account of unfavorable market conditions, raising of Equity Share Capital by other modes were not considered by the Bank. Keeping in view the future requirements, now it has been planned to raise Equity Share Capital up to **₹ 3200 crore (Rupees Three Thousand and Two**

Hundred Crore Only) as indicated above.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches as such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Banker(s), Lead Manager(s), Advisor(s) and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorised committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81(1A) and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required.
- iii. The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs)

within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above Resolution;

- iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisor(s), Lead Manager(s) and Underwriter(s) and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- v. The total amount raised in such manner, including the over-allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;
- vi. The Securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) Regulations.
- vii. The equity shares allotted, shall rank paripassu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Arun Tiwari)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 12th May 2016